न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर सूरतगढ।

बइजलास मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्र0 नं0 76/2019 तारीख दायरा 24.06.2019

अनवान

1. राजविन्द्रसिंह पुत्र बैसाखासिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया सूरतगढ।
2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र बैसाखासिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया सूरतगढ।

——वादीगण

बनाम

1. बैसाखासिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

विषयः— वादपत्र घोषणापत्र एवं खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53—88, 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित 1. हरिसिंह भाटी अभिभाषक वादीगण की तरफ से।

2. अजयकुमार अरोड़ा अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से।

3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक 30.9.2020

पत्रावली बाद बहस वास्ते निर्णय पेश हुई वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 30 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वंत 2070 से 73 के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 1 ता 10, 11/1, 16 ता 25 = 5.187 है0, व प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0 इस प्रकार कुल 7.970 है0 (7.820 है0 नहरी व 0.150 है0 गै0मु0रास्ता) व इसी चक के इसी सम्वंत की जमाबंदी के खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2, 12 ता 15 = 1.138 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता इ प्रकार दोनो खातो की कुल तादादी 9.108 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है जो वाद की मुख्य आधारशीला है। यह कि जैर प्रकरण रकबा प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 पिता—पुत्र है। उक्त जैर प्रकरण रकबा पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी सं0 1 को उसके पिता से विरासत/दानपत्र में प्राप्त रकबा है। उक्त जैर प्रकरण रकबा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा व हक कानूनी बनता है जिसे वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के पूरे—पूरे पात्र है। घरू बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त रकबा को निम्न प्रकार से कब्जा का

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

——पेज 2 पर लगातार

(1) वादी सं0 1 राजविन्द्रसिंह का कब्जा काश्त:– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 10, 11/1 = 2.657 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2 में 0.126 है0, 12/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.036 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(2) वादी सं0 2 भुपेन्द्रसिंह का कब्जा काश्त:– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) किला नं0 13/253 है0, 14/0.127 है0 = 0.380 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.163 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(3) प्रतिवादी सं0 1 बैसाखासिंह का कब्जा काश्त:– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 16 ता 25 = 2.530 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 14/0.126 है0, 15/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो की कुल 2.909 है0 नरही मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त के रकबा को सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। वादीगण अपने कब्जा काश्त रकबे अनुसार ही खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहते है। इसलिए भी दावा डिक्री योग्य है। यह कि जैर प्रकरण रकबा प्रतिवादी सं0 1 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने से उसे बैचान करने पर उतारू है। उक्त जैर प्रकरण रकबा पैतृक सम्पति होने से वादीगण अपने 1/3, 1/3 हिस्से के रकबा को घोषित करवाने के कानूनी हकदार है। इसी वजह से भी दावा डिक्री योग्य है। यह कि दिनांक 20.05.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी तहसील में चलकर खाता विभाजन का कहा तो प्रतिवादी ने तहसील से नोटिस आने का बहाना कर तहसील चलने से इन्कार कर दिया व कहा कि वो तो कही नहीं जावेगे वादीगण चाहे तो दावा करे अपना खाता विभाजन करवा लेवे। बस यही इन्कारी की वजह से ही वादीगण को यह दावा पेश करना पड़ा। वादीगण ने वादपत्र पेश कर वादपत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार आज्ञाप्ति पारित करने का निवेदन किया। वादपत्र में दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। दौराने वादपत्र वादीगण द्वारा प्रर्थना पत्र प्रस्तुत कर रहनमुक्त की जमाबंदी पेश कर प्रतिवादी सं0 2 बैंक को तर्क करने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 03.12.2019 को प्रतिवादी सं0 2 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर जवाबदावा दिनांक 03.12.2019 को पेश कर वादपत्र के तथ्यो को स्वीकार किया। प्रतिवादी सं0 3 राज्यपक्ष द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी सं0 3 का जवाब दावा बंद करके निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आयाकि वादी अनुतोष संख्या 1 में अंकित भूमि ... क कब्जा काश्त एवं घरू बंटवारा खाता विभाजन का अधिकारी है? ... वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

—पेज 3 पर लगातार

2. आयाकि प्रतिवादी मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन का अधिकारी है।

प्रतिवादी सं0 1

3. अनुतोष

उपरोक्त तनकी कायम करने के पश्चात साक्ष्य ली गई। वादीगण की तरफ से प्रतिवादी सं0 2 साक्ष्य हेतु उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया एवं अपने समर्थन में वर्तमान जामबंदी की प्रमाणित प्रतिया EXP.1 व EXP. 2 प्रदर्श करवाई। एवं पैतृक भूमि के साक्ष्य हेतु सम्वंत 2025 से 2028 की जमाबंदी खाता सं0 17 की प्रमाणित प्रति EXP. 3 प्रदर्श करवाई। एवं शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यो को दोहराकर हको की घोषणा एवं खाता विभाजन का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद की गई। बाद साक्ष्य बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए पत्रावली मे उपलब्ध पैतृक भूमि की साक्ष्य भी जमाबंदी पर ध्यानाकर्षण करते हुए एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए वादपत्र स्वीकार कर हको की घोषणा करते हुए वादपत्र में वर्णित कब्जा अनुसार खाता विभाजन का निवेदन किया। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा बहस को स्वीकार किया गया। दोनो पक्षो की बहस एवं दस्तावेजो के अवलोकन पश्चात तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है।

तनकी सं0 1 आयाकि वादी अनुतोष संख्या 1 में अंकित भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त एवं घरू बंटवारा खाता विभाजन का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने समर्थन में जमाबंदी EXP. 3 प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से वाद में प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति होना साबित है। एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 अनुसार पैतृक सम्पति में सन्तान का जन्म से ही हक होता है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 की सन्तान है जो स्वीकृत तथ्य है।

अतः वादीगण का जन्म से ही भूमि पर हक बनता है। मुताबिक कब्जा खाता विभाजन का प्रशन है। इस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा सम्बन्धि कोई एतराज नहीं किया गया है। दोनो पक्षो को अंकित कब्जा अनुसार खाता विभाजन स्वीकार है। इस प्रकार वादीगण यह तनकी सिद्ध करने में सफल रहे है। यह तनकी वादीगण के हक में साबित है।

तनकी सं0 2– आयाकि प्रतिवादी मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन का अधिकारी है।

यह कि कब्जा काश्त का प्रश्न तनकी सं0 1 में हो चुका है। अतः अलग से इस तनकी के निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

—पेज 4 पर लगातार

अनुतोष— उपरोक्त मुख्य तनकी सं0 1 का निर्णय वादीगण के हक में हो चुका है। अतः उपरोक्त तनकीवार निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि चक 30 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वंत 2070 से 73 के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 1 ता 10, 11/1, 16 ता 25 = 5.187 है0, व प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0 इस प्रकार कुल 7.970 है0 (7.820 है0 नहरी व 0.150 है0 गै0मु0रास्ता) व इसी चक के इसी सम्वंत की जमाबंदी के खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2, 12 ता 15 = 1.138 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता इ प्रकार दोनो खातो की कुल तादादी 9.108 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 को सहदायिक होने के नाते बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। एवं इस घोषणा पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

(1) वादी सं0 1 राजविन्द्रसिंह :— चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 10, 11/1 = 2.657 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2 में 0.126 है0, 12/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.036 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(2) वादी सं0 2 भुपेन्द्रसिंह :— चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) किला नं0 13/253 है0, 14/0.127 है0 = 0.380 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.163 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(3) प्रतिवादी सं0 1 बैसाखासिंह :— चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 16 ता 25 = 2.530 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 14/0.126 है0, 15/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो की कुल 2.909 है0 नरही मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

उपरोक्त घोषणा एवं खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किए जाते है। आज्ञाप्ति जारी हो। पत्रावली पैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.00.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़।

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

—— पर्चा डिकी——

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलैक्टर सूरतगढ।

(बइजलास:– मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.)

अनवान

1. राजविन्द्रसिंह पुत्र बैसाखासिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया सूरतगढ।
2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र बैसाखासिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया सूरतगढ।

——वादीगण

बनाम

1. बैसाखासिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88 आर.टी.ए. व 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम यह मुकदमा इनफिसाल कितई रूबंरू हमारे हाजरी वकील हरिसिंह भाटी वादीगण, अजय अरोड़ा प्रतिवादी सं0 1 एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है वादपत्र में प्रश्नगत भूमि चक 30 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वंत 2070 से 73 के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला न0 1 ता 10, 11/1, 16 ता 25 = 5.187 है0, व प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0 इस प्रकार कुल 7.970 है0 (7.820 है0 नहरी व 0.150 है0 गै0मु0रास्ता) व इसी चक के इसी सम्वंत की जमाबंदी के खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2, 12 ता 15 = 1.138 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता इ प्रकार दोनो खातो की कुल तादादी 9.108 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 को सहदायिक होने के नाते बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। एवं इस घोषणा पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

(1) वादी सं0 1 राजविन्द्रसिंह :– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/271 (56) के किला नं0 1 ता 10, 11/1 = 2.657 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 11/2 में 0.126 है0, 12/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.036 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(2) वादी सं0 2 भुपेन्द्रसिंह :– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 1 ता 11 = 2.783 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) किला नं0 13/253 है0, 14/0.127 है0 = 0.380 है0 इस प्रकार दोनो खातो में कुल तादादी 3.163 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

(3) प्रतिवादी सं0 1 बैसाखासिंह :– चक 30 एम.ओ.डी. के खाता सं0 63/58 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 16 ता 25 = 2.530 है0, व खाता सं0 81/109 के प0 नं0 23/270 (49) के किला नं0 14/0.126 है0, 15/0.253 है0 = 0.379 है0 इस प्रकार दोनो खातो की कुल 2.909 है0 नरही मय गै0मु0रास्ता खातेदारी।

उपरोक्त घोषणा एवं खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किए जाते है। नोज..............X.............. मुबलिग ....X.............. बाबत..............X.... ....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..............X.............. फस्दों की पालना ....X.. .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २०.०७.2... को ...री की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलैक्टर
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ